बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

पटना, दिनांक– 28.05.25

संॅ0सं0–17/विविध 1–218/2024......537(17)....बिहार सयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्, पटना द्वारा अनुशंसित निम्नांकित चिकित्सकों को सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्त्ती, नियुक्ति एव प्रोन्नति नियमावली–2008 एव (सशोधन) नियमावली, 2013 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पतालो में दन्त विभाग के अन्तर्गत सीनियर रेजिडेन्ट के तीन वर्षीय टेन्योर पदो पर नियुक्त एव पदस्थापित किया जाता है–

SR NO	REG NO	NAME	CAT	SELECTION CAT	DOB	SEX	BHS	POSTING PLACE
1	9250000082	VAIBHAVA RAAJ	UR	UR	02-Jun-91	M	NO	PMCH, PATNA
2	9250000152	PALLAWI	BC	BC	13-Aug-84	F	BHS	NMCH, PATNA
3	9250000080	SARITA	BC	WBC	15-Feb-89	F	NO	ANMMCH, GAYA
4	9250000103	IPSHITA	EB	EBC	24-Jan-82	F	BHS	SKMCH, MUZAFFARPUR
5	9250000067	NAHID	EB	EBC	27-Feb-93	F	NO	GMC, PURNIA
6	9250000162	PRIYANKA NARAYANN	SC	SC	06-Jan-86	F	NO	NMCH, PATNA
7	9250000064	NIDHI PRASAD	SC	SC	31-Jan-96	F	NO	SKMCH, MUZAFFARPUR
8	9250000036	DHANANJAY KUMAR	SC	SC	23-Aug-91	M	NO	DMCH, DARBHANGA

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षो के लिए होगी।
3. सीनियर रेजिडेन्ट के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदो पर नियुक्ति की कार्रवाई विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए की जा रही है। अतएव इनका पदस्थापन चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पतालो मे सीनियर रेजिडेन्ट के तीन वर्षीय टेन्योर रिक्त पदो के अधीन माना जायेगा।
4. बिहार स्वास्थ्य सेवा सवर्ग (बिहार दन्त सेवा) चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एव अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदो पर पदस्थापन अवधि मे देय होगा तथा वेतन से की जा रही कटौतियॉ नियमानुसार की जायेगी।
5. बिहार स्वास्थ्य सेवा सवर्ग (बिहार दन्त सेवा) के चिकित्सको को छोडकर अन्य सभी बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान, वेतन लेवल–9 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा एव कटौतियॉ स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–22(1) दिनांक–11.01.2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों के तहत की जायेगी।
6. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो बिहार स्वास्थ्य सेवा सवर्ग (बिहार दन्त सेवा) के चिकित्सक हैं, वे विरमित होने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग में योगदान समर्पित करेगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर अवधि समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नही कर सकेंगे।
7. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नवपदस्थापित स्थान पर **अधिकतम 15 दिनों के अन्दर** अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र यथा मूल शपथ–पत्र/विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र/विरमन पत्र आदि अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक को समर्पित करेंगे। प्राचार्य/अधीक्षक द्वारा उनकी शैक्षणिक अर्हता सहित अन्य प्रमाण पत्रों की जॉच करने के उपरान्त योगदान स्वीकार करेगे।
8. सीनियर रेजिडेट के स्वीकृत पद के विरूद्ध अतिरेक पदस्थापन होने की स्थिति में उक्त संस्थान के अन्य विभाग में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के रिक्त पद के विरूद्ध वेतन भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

28/05/25

(3)

9. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट यदि योगदान के उपरात किसी कारणवश टेन्योर अवधि पूर्ण होने के पूर्व पद–त्याग करना चाहते हों तो 03 माह पूर्व प्राचार्य/अधीक्षक के माध्यम से अपना आवेदन विभाग में समर्पित कर अनुमति प्राप्त करना होगा।

10. नवनियुक्त सीनियर रेजिडेंट यदि **लगातार 15 दिनों से अधिक** दिनों तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते है, तो उनका टेन्योर समाप्त समझा जायेगा।

11. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :–17/विविध–01–218/2024 – 537(17) पटना/दिनांक– 28-05-25

प्रतिलिपि :– महालेखाकर (ले० एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषाग) विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सभी प्रमडलीय आयुक्त/सभी संबधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्राचार्य/अधीक्षक, संबधित सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– सबधित सभी सिविल सर्जन, बिहार/राज्य के सबधित चिकित्सा संस्थानों के अधीक्षक/उपाधीक्षक/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सभी अपर सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 02, 03, 07, 08, 09 एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सीनियर रेजिडेट को सूचनार्थ एव अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Renu Kumari 28/05/2025
विशेष कार्य पदाधिकारी।